न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु०नं० 138/16 तारीखरजू 29-11-16

उनवान – मनोज कुमारी बनाम रा०सरकार
जिला कलक्टर कालवाड़ी

दावा बाबत किये जाने तरमीम (रेस) दुरुस्ती

वादी की ओर से श्री विजय भारती Adv. ने दावा बाबत किये जाने तरमीम (रेस) दुरुस्ती पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 8-12-16 को पेश हो। 3685-87 / 30-11-16

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

8.12.16

वादी वकील उप०/प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से पैरोकार सरकार उप०/प्रतिवादी नं. 3 की ओर से सचिव उप०/वास्ते जवाब दिनांक 9-1-17 को पेश हो।

9.1.17

वकलाय उप/जवाब पेश जाने दिनांक 24.1.17 को पेश हो।

24.1.17

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 20.2.17 को पेश हो।

20.2.17

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 22.3.17 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दिनांक	
22.3.17	वकुलाय उप./पैरोकार सरकार को जवाब पेश करने की हिदायत की गई। जवाब पेश करने दिनांक 19.4.17 को पेश हो।
19.4.17	वकुलाय उप./जवाब पेश करने दि० 17.5.17 को पेश हो।
17.5.17	~~वकुलाय~~ पत्रावली पेश हुई। आईन्दा कैम्प कोर्ट दिनांक 31.5.17 को पेश हो।
31.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प महस्वा में पेश हुई। वादीगण वकील एवं पैरोकार सरकार उपस्थित है। सरकार की ओर से नायब तहसीलदार बालघाट पैरोकार सरकार ने जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात खं.नं. 416/1342 / 2.00, 416/1340 / 0.25, 416/1341 / 1.50 कुल किता 3 कुल रकबा 3.75 है। ग्राम कालवाड़ी किस्म चारागाह के ट्रेस में कोई तरमीम बदली नहीं है। सरकार के अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा आबादी भूमि

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

ांक	फर्द अहकाम	
	से किसी को बेदखल नहीं किया जा रहा है। चारागाह भूमि में लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। तथा नक्शा में तरमीम आवंटन प्रस्ताव / आदेश अनुसार ही की गई है। जिसमें दुरूस्ती का प्रकरण नहीं बनता है। पूर्व व वर्तमान रिकार्ड में कोई गलती नहीं हुई है। दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण बनता ही नहीं है। इसलिए इस प्रकरण को आगे चलाये रखना उचित नहीं है तथा दावा इन्द्राज दुरूस्ती खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3.5.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में शिविर रानोली में सुनाया गया। (जगदीश आर्य)	

Scanned by CamScanner